न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 75/2010

आरसीएमएस नं. 2010/00197

उच्छव कंवर धर्मपत्नी श्री मंगेज सिह आयु 75 वर्ष जाति राजपूत निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला, हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. अभिकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अजीतपुरा, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

–– रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा,

दिनांक 15.11.2010, प्र. सं. 203/2007

उपस्थितिः–

श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी,

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांक 23.06.2022

1. अपील से संबंधित सुसंगत एवं संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि ग्राम अजीतपुरा के खसरा नम्बर 316 तादादी 9.00 हैक्टेयर अपीलांट की खातेदारी भूमि है तथा उक्त भूमि में से 8 बीघा में बिना रूपान्तरण करवाये आवासीय प्रयोजनार्थ अन्य लोगों को बेचान किया गया है तथा इस भूमि पर अन्य लोग आबाद है इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:09:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रकार काबिज व्यक्तियों को बेदखल किया जावे व धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अल्लंघन होने से यह भूमि सिवाय चक घोषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया एवं प्रश्नगत भूमि को राजकीय सिवाय चक घोषित किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की कि तथाकथित आवासीय मकान खसरा नम्बर 316 की ही भू–भाग हो। प्रश्नगत खसरा नम्बर 316 गांव अजीतपुरा के नजदीक है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने कोई पैमाईश किये बिना मात्र कयास के आधार पर प्रश्नगत रिहायशी मकान अपीलांट की खातेदारी भूमि में होने का निष्कर्ष निकालकर कार्यवाही की है। ऐसा कोई विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत भूमि का बेचान अपीलाण्ट ने किया है। जहां आबादी बसी है वह खसरा नम्बर 316 की भूमि नहीं है। बल्कि प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि के रूप में अपीलांट के कब्जा काश्त में है। धारा 177 की कार्यवाही के अन्तर्गत अपीलाण्ट ने कोई साक्ष्य पेश नही ना ही अपीलाण्ट पर विधिवत तामील करवाई गई। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत खातेदारी कृषि भूमि में बिना रूपान्तरण करवाये अवैध रूप से काश्तकारी अधिनियम 1955 की शर्तों का उल्लंघन कर आवासीय प्रयोजनार्थ अन्य लोगों को बेचान कर दिया जिससे पर लोग आबाद है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट का कथन है कि जहां आबादी बसी है वह खसरा नम्बर 316 की भूमि नहीं है। जबकि रेस्पोडेण्ट का कथन है कि प्रश्नगत अजीतपुरा के ख0 नं0 316 की भूमि में आवासी प्रयोजनार्थ अन्य लोगों को बेचान कर दिया गया है जिस पर लोग आबाद हैं। इस बिन्दू का निर्धारण प्रश्गनत भूमि की तहसीलदार द्वारा पैमाईश के द्वारा ही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Karlar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:09:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.11.2010 निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रकरण इस योग्य है कि ग्राम अजीतपुरा के खसरा नं. 316 की 9.4600 हैटेयर भूमि में आबादी भूमि है अथवा नहीं की जांच करे एवं इस संबंध में तहसीलदार नियम 166 में आबादी भूमि की पैमाईश कर नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.11.2010 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार भादरा को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम अजीतपुरा के खसरा नं. 316 की 9.4600 हैक्टेयर भूमि में आबादी भूमि है अथवा नहीं की जाचं कर इस संबंध में नियम 166 में आबादी भूमि पैमाईशकर नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावें पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.6.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/6/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:09:01 IST
Reason: SelfAttested